...संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, गढ़वा

भूमि विक्री अनुमति वाद सं०–17 / 2022
सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत
मसो० पनबसिया देवी—विक्रेता
प्रति
श्री राजेशवर चौधरी—क्रेता

–:आदेश:–

अभिलेख उपस्थापित। आवेदिका / विक्रेता मसो० पनबसिया देवी, पति–स्व० लखराज चौधरी, ग्राम–ओरईया, पोस्ट–अटौला, थाना–मेराल, जिला–गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता श्री राजेश्वर चौधरी, पिता–स्व० होरिल चौधरी, ग्राम–बिरबंधा, पोस्ट–अटौला, थाना–मझिआंव, जिला–गढ़वा को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, मेराल से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, मेराल के पत्रांक 640 / दिनांक 25.11.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार के तामिला प्रतिवेदन के साथ प्राप्त हुआ, एवं विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि का विक्रेता के ससुर के नाम से मांग चलता है। विक्रेता जाति के मल्लाह सुरिया (पिछड़ा वर्ग) एवं क्रेता जाति के मल्लाह सुरिया(पिछड़ा वर्ग) के सदस्य है, विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदिका / विक्रेता के शांतिपूर्ण दखल–कब्जे में हैं। यह भूमि भूदान, भू–हदबंदी, वन सीमा इत्यादि से मुक्त है।

अतः अंचल अधिकारी, मेराल के जाँच प्रतिवेदन / अनुशंसा के आलोक में आवेदिका / विक्रेता मसो० पनबसिया देवी, पति–स्व० लखराज चौधरी, ग्राम–ओरईया, पोस्ट–अटौला, थाना–मेराल, जिला–गढ़वा ने क्रेता श्री राजेश्वर चौधरी, पिता–स्व० होरिल चौधरी, ग्राम–बिरबंधा, पोस्ट–अटौला, थाना–मझिआंव, जिला–गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि की विक्री करने हेतु छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अन्तर्गत विक्री हेतु हस्तान्तरण करने हेतु स्वीकृति दी जाती है।

भूमि का विवरण:–

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
1	2	3	4	5	6
हारनदुबे	261	11	180	0.18	उ०–रघुनाथ चौधरी, द०–बुटन चौधरी वगै०, पू०–श्याम बिहारी तिवारी, प०–मुख्य सड़क,
			181	$0.10\frac{7}{18}$	
			कुल रकबा:–	$0.28\frac{7}{18}$	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता,
गढ़वा।

अपर समाहर्त्ता,
गढ़वा।

Digitally signed by Pankaj Kumar Singh
Date: 2022.12.05 16:04:09 +05:30
Location: 192.168.36.160

जिला अधिवक्ता संघ गढ़वा-822114

G - 24339

कोषाध्यक्ष

सचिव

Scanned with CamScanner